ज्ञापांक क्र.- 962

Date - 9/5/24

अनुसूची २१-प्ररूप संख्या ११२।

सम्पत्ति अवभार-प्रमाणपत्र

प्रमाण पत्र सं०...810...२०24

श्री...Aditya Sigma OM Construction & Realty...ने आवेदन सं०...810...२०24...द्वारा आवेदन किया है कि निम्नलिखित Saraikela Kharsawan संपत्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित सम्व्यवहारों का और अवभारों का प्रतिवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण २)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले सम्व्यवहारों और अवभारों के बारे में बही १ में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता...2011 to...से...till date...तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न सम्व्यवहारों और अवभारों का पता चला है।

क्रम सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं	सं	पृष्ठ
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	Mouza No-08, Saraikela, Khata no-384 (New), 78 (Old) Plot no-1294 (New), 547 (Old), Area 10.32 Decimal							
	Nil							

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें। Raj Kumar Chatterjee

(ख) १. बंधक-पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें : परंतु, कि इनके बारे में उल्लेख हो।

२. पट्टा की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अधिभारों को छोड़, उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अधिभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर)- [signature]

(पदनाम) - Clerk

तलाशी का सत्यापन और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर) [signature]

(पदनाम) - Clerk

कार्यालय Dist Sub Registrar Dhanbad

मुहर

मुहर जिला अवर निबंधक ★ सत्यमेव जयते ★ धनबाद

तारीख 9/4/24

[signature]

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी - इस प्रमाणपत्र में जो संव्यवहार और अधिभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं सम्पत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो ऐसी दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

२) निबन्धन अधिनियम की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अधिभारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करना होगा। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियां और अनुक्रमणियां उनके सामने रख दी जायेंगी।

क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा :

ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा पढ़े गये संव्यवहारों और अधिभारों के सत्यापन के बाद प्रमाणपत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न किये गये ऐसे संव्यवहारों और अधिभारों की चूक के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पति पर प्रभाव पड़ता हो।

Serch by me
[signature]